छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक / 1884 / 96 / विज्ञापन / 2015 रायपुर, दिनांक **28 / 12 / 2015**

:: शुद्धि पत्र ::

शुद्धि पत्र क्रमांक / 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 3–2 / 2015 / 3 / एक दिनांक 17.12.2015 जारी किया गया है। परिपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट देने का निर्देश दिया गया है।

2 / छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर निम्नलिखित विज्ञापन जारी किए गए हैंः–

क्र.	विज्ञापन क्रमांक एवं जारी दिनांक	पद एवं विभाग का नाम	प्रकाशन तिथि	ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
1	08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.11.2015	**राज्य सेवा परीक्षा–2015** विभिन्न विभाग	02.12.2015	10.12.2015	08.01.2016
2	09 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 04.12.2015	**पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ** पशुधन विकास विभाग	09.12.2015	17.12.2015	15.01.2016
3	10 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 04.12.2015	**मनोरोग विशेषज्ञ एवं दंत चिकित्सक** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	09.12.2015	23.12.2015	21.01.2016
4	11 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 08.12.2015	**विशेषज्ञ चिकित्सक (आयुष विंग / थेरेपी सेंटर)** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	16.12.2015	06.01.2016	05.02.2016
5	13 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 17.12.2015	**प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, व्याख्याता** तकनीकी शिक्षा विभाग	23.12.2015	15.01.2016	13.02.2016

3 / छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र के आधार पर आयोग द्वारा **उपरोक्त जारी विज्ञापनों में जिन पदों हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष दिया है उसमें 05 वर्ष की छूट देय होगी, अर्थात् छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।** परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 / आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष शर्तें / कंडिकाएं यथावत रहेगी।

सही / –
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर